भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 570
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुरानी सड़कों/पुलों का रखरखाव

570. श्री शशांक मणिः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुरानी सड़कों और पुलों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुरक्षण कार्य के लिए निधि आवंटन और निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ख) क्या सरकार का सड़क अवसंरचना, विशेषकर पुराने हो चुके पुलों के लिए ढांचागत अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या पुलों और उच्च यातायात वाली सड़कों विशेषकर प्रतिकूल मौसम स्थितियों अथवा भारी यातायात वाले क्षेत्रों में सुरक्षा आकलन और उच्च यातायात वाली सड़कों के नियमित सुरक्षा आकलन और लेखापरीक्षा के लिए कोई प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो निरीक्षणों की आवृत्ति और हाल के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों, उन पर बने पुलों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी विभिन्न कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर पुलों की स्थिति सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन किया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर रखरखाव के कार्य किए जाते हैं; ऐसे कार्यों में विभिन्न कारणों से हुई कमियों और क्षति को सुधारना, राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरूद्धार और सुदृढ़ीकरण, पुलों की मरम्मत / पुनरूद्धार / निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।

सरकार ने जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से पुलों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों का एमएंडआर, जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अनुबंध दिए गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही/ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों के लिए, रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के सभी शेष खंडों के लिए, सरकार ने अनुबंध रखरखाव प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई भी खंड बिना किसी जवाबदेह संविदात्मक रखरखाव एजेंसी के नहीं छुटेगा।

2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत पर 31.10.2024 तक 3,493 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 432 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दृश्य तथा उपकरण आधारित आवधिक निरीक्षण, मूल्यांकन तथा निगरानी अनिवार्य की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न घटकों की संरचनात्मक अखंडता को समय पर मरम्मत/पुनरूद्धार उपाय के माध्यम से बनाए रखा जा सके। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुलों में वास्तविक समय के आधार पर संरचनात्मक अवस्था की निगरानी भी की जाती है। मंत्रालय ने देश में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर पुलों तथा अन्य संरचनाओं की निगरानी तथा रखरखाव के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) की भी शुरूआत की है।

(ग) सरकार ने पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से सभी चरणों (डिजाइन चरण, निर्माण चरण, यातायात के लिए खोलते समय और परिचालन के दौरान) पर सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया है।

इसके अलावा, कार्यस्थल पर कार्यों के दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रालय और उसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाताओं (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर) की नियुक्ति की जाती है।

मंत्रालय और उसकी क्रियान्वयन एजेंसियों के अधिकारी तथा स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक समय-समय पर निरीक्षण करते हैं तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता तथा रियायतग्राही/ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूपता सुनिश्चित करते हैं। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे रियायतग्राही/ठेकेदार के ध्यान में लाया जाता है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

*****